राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकःएफ.11(32)गृह–10/2016 जयपुर, दिनांक 20-9-16

परिपत्र

विषयः– अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले अधिकारी के साक्ष्य के सम्बन्ध में।

राज्य की विभिन्न अनुसंधान एजेन्सियों द्वारा अनुसंधान के उपरान्त विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति यथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुध अधिनियम एवं अन्य प्रभावी अधिनियमों में अभियोजन स्वीकृति जारी की जाती है।

अभियोजन स्वीकृति की वैद्यता साबित करने के उद्देश्य से अनुसंधान एजेन्सी द्वारा गवाहों की सूची में सामान्यतः अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले प्राधिकारी का नाम सम्मिलित किया जाता है। न्यायालय द्वारा कई बार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा जिस पदीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियोजन स्वीकृति जारी की जाती है ऐसे पद से स्थानांतरण या सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् समन जारी किये जाते है। ऐसे प्राधिकारी को एक ही प्रकरण में मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा हेतु कई बार न्यायालय में उपस्थित होना पडता है। ऐसे प्राधिकारी अगर सेवानिवृत्त हो चुके है, तो उनकी यात्रा/ठहरने के लिए व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी पड़ती है, बाद में सम्बन्धित विभाग द्वारा पुनर्भरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पडता है, इससे संबंधित प्राधिकारी जिसने अभियोजन स्वीकृति जारी की है, को काफी असुविधा का सामना करना पडता है।

यह विषय विचारणीय है कि क्या अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अभियोजन स्वीकृति साबित करना एक कानूनी अपेक्षा है? या क्या इसे अन्य तरीके से साबित किया जा सकता है?

इस सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 142/22/2007–एवीडी–1 दिनांक 10 नवम्बर, 2008 जारी किया गया। राज्य स्तर पर भी इस सम्बन्ध में विधि एवं विधिक कार्य विभाग से प्रकरण का परीक्षण करवाया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य सीआरएलजे 633 (एस.सी.) एवं राजस्थान राज्य बनाम डा.ए.के.दत्ता एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट में यह अवधारित किया कि अभियोजन स्वीकृति दो प्रकार से साबित की जा सकती है:–

मूल अभियोजन स्वीकृति पेश कर, जिसमें अपराध कारित किये जाने एवं अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने की संतुष्टि के आधार वर्णित होते है। द्वितीय यह तथ्य साबित करके की अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्य रख दिये गये थे एवं वे संतुष्ट थे।

सीबीआई बनाम पी. मुथुरमन 1996 क्रिमीनल लॉ जनरल 3638 में यह अवधारित किया गया कि अभियोजन स्वीकृति पर किये गये हस्ताक्षर को प्रमाणित करने वाले को अभियोजन स्वीकृति जारी करनेवाले अधिकारी द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारी अथवा उस लिपिक द्वारा साबित किया जा सकता है, जो अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले प्राधिकारी से परिचित है। अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर साबित हो जाते है एवं अभियोजन स्वीकृति स्वमुखित (speaking) है , तो ऐसी अवस्था में मामला यही समाप्त हो जाता है अन्यथा यह साबित करना पडता है कि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने से पहले सम्पूर्ण रिकार्ड को देखा है।

बाबराली अहमदाली सैयद बनाम गुजरात राज्य 1991 क्रिमीनल लॉ जनरल गुजरात में यह अवधारित किया गया कि जहां अभियोजन स्वीकृति विधि अनुरुप है, वहां प्राधिकारी के साक्ष्य द्वारा साबित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य बनाम नरसिंहाचारी 2006 क्रिमीनल लॉ जनरल 518 सुप्रीम कोर्ट में यह अवधारित किया कि अभियोजन स्वीकृति एक लोक दस्तावेज है, जिसे साबित किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी को साक्ष्य में बुलाने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि अभियोजन यह साबित करता हो कि सुसंगत सामग्री अभियोजन स्वीकृति जारी करनेवाले प्राधिकारी के समक्ष रख दी गई है, इसके बाद ही अभियोजन स्वीकृति जारी की गई है।

उपरोक्त निर्णयों आलोक से स्पष्ट है कि यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की जाती है, जिसमें अपराध एवं अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने से सम्बन्धित तथ्य निहत है, तो ऐसी अवस्था में अभियोजन हेतु यह आवश्यक नहीं है कि अभियोजन स्वीकृति की वैधता पर को साबित करने हेतु अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले के हस्ताक्षर व्यक्तिगत साक्ष्य बुलाकर साबित किये जाये वरन् अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर उसके परिचित व्यक्ति के साक्ष्य से साबित किये जा सकते है।

अगर बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी किये जानेवाले प्राधिकारी की अधिकारिता अथवा विवेक का प्रयोग न किये जाने के आधार पर चुनौती दी जाती है या अभियोजन स्वीकृति की वैद्यता पर प्रथम दृष्टया संदेह किया जाता है, तो ऐसी अवस्था में विचारण न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी को साक्ष्य में बुला सकता है।

अतः सभी अनुसंधान एजेन्सियां एंव अभियोजन अधिकारी अभियोजन स्वीकृति की वैद्यता साबित करने के उद्देश्य से उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखेगें ओर यह सुनिश्चित करेगें कि अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने वाले प्राधिकारी को गवाहों की सूची में नेमी रूप से (routinely) शामिल नहीं करेगें।

आज्ञा से,

(दीपक उप्रेती)
प्रमुख शासन सचिव गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव–I/II मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक वादकरण, विधि विभाग।
8. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सहित)।
10. रक्षित पत्रावली।

20/9/16

(देवेन्द्र दीक्षित)
विशिष्ठ शासन सचिव गृह